न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ सौम्या झा,आई0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 46 / 2020
प्रविष्टि दिनांक 31.07.2020
श्रीमति ग्यारसी देवी पत्नि नारायण जाति माली निवासी मेहताबपुरा तहसील निवाई जिला टोंक राज0

—अपीलान्ट

बनाम
तहसीलदार निवाई जिला टोंक

—रेस्पोडेण्ट

अपील विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1325 दिनांक 15.04.1987 वाके ग्राम सिरस तहसीलदार निवाई

उपस्थिति —(1) श्री सेतराम चौधरी, अभिभाषक अपीलान्ट
(2) श्री सावंतराम मीना, नायब तहसीलदार राजकीय पेरोकार

निर्णय **दिनांक 02.07.2024**

अपील का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 15.04.1987 को खातेदार ग्यारसी पत्नि नारायण माली हिस्सा 1/2 वगै. के स्थान पर नामान्तरकरण सं0 1325 दिनांक 15.04.1987 वाके ग्राम सिरस भूमि खसरा नम्बर 1487/2 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा को सिवायचक करते हुये तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट ने तहसीलदार निवाई के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी रेस्पोडेण्ट्स जरिए नोटिस की गई। विवादित नामान्तरकरण की मूल प्रति मंगवाई गई तथा प्रकरण में अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अपीलांट्स के अभिभाषक ने अपनी बहस मे अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार निवाई ने नामान्तकरण संख्या 1325 दिनांक 15.04.1987 से अपीलांट की आराजी खसरा नम्बर 1487/2 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम सिरस को अपीलांट की खातेदारी से विलोपित कर सिवायचक दर्ज कर दिया है। उक्त आदेश जारी करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है,जबकि प्राकृतिक न्याय का सिद्वान्त है कि पक्षकारान को समुचित सुनवाई का अवसर दिये जाने के उपरान्त ही निर्णय पारित किया जाना चाहिये है। अपीलांट उक्त आराजी के 1/2 की मालिक एंव स्वामी है तथा उक्त आराजी को उसने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय षत्र दिनांक 19.02.1976 को बिल एवज 4,000 रूपये मे क्रय किया था तथा उक्त प्रतिफल राशि मे से 1/2 राशि अपीलांट ने उसके पूर्व मालिक को अदा थी। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र की पालना मे अपीलांट के पक्ष मे राजस्व रिकार्ड मे उक्त आराजी की खातेदारी दर्ज की गई है। इय प्रकार अपीलांट उक्त आराजी के 1/2 हिस्से की खातेदार काश्तकार थी। अपीलाधीन

जिला कलेक्टर
टोंक

नामान्तकरण के कॉलम नम्बर 14 मे जिला कलेक्टर टोक की जिन पत्रावलिया के आधार पर हस्तगत नामान्तकरण तस्दीक करना बताया है,उक्त पत्रावलिया अस्तित्व मे ही नही है,जिसकी जानकारी अपीलांट ने अपने निजी स्तर पर की तो अपीलांट को पता चला कि इस तरह की कोई पत्रावलिया रिकार्ड शाखा मे जमा नही है तथा ना ही उन पत्रावलियो मे अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया गया है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 1487/2 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम सिरस हिस्सा 1/2 की हद तक उक्त नामान्तकरण को निरस्त किया जाना न्याय संगत है।

अपीलान्ट के अभिभाषक की बहस का जवाब देते हुए राजकीय पेरोकार ने कथन किया कि तहसीलदार निवाई द्वारा दिनांक 15.04.1987 को खातेदार ग्यारसी पत्नि नारायण माली हिस्सा 1/2 वगै. के स्थान पर नामान्तरकरण सं0 1325 दिनांक 15.04.1987 वाके ग्राम सिरस भूमि खसरा नम्बर 1487/2 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा को सिवायचक करते हुये तस्दीक किया गया है। तहसीलदार निवाई द्वारा उक्त नामान्तकरण को श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय टोंक के निर्णय की पालना मे तस्दीक किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एंव पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। नामान्तरकरण संख्या 1325 दिनांक 15.04.1987 वाके ग्राम सिरस तहसील निवाई खातेदार ग्यारसी पत्नि नारायण माली हिस्सा 1/2 वगै. के स्थान पर सिवायचक दर्ज करते हुये स्वीकार किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट का कथन है कि उक्त आदेश जारी करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का अवसर नही दिया गया है। नामान्तकरण के कॉलम नम्बर 14 मे जिला कलेक्टर टोक की जिन पत्रावलियां के आधार पर हस्तगत नामान्तकरण तस्दीक करना बताया है,उक्त पत्रावलियां अस्तित्व मे ही नही है,परन्तु अपीलांट द्वारा प्रभारी अधिकारी रिकार्ड शाखा कलेक्ट्रेट टोंक के समक्ष किसी भी प्रकार का आवेदन पत्र (प्रतिलिपी प्राप्त करने का) प्रस्तुत नही किया गया है,जिससे यह जाहिर हो कि पत्रावलियां रिकार्ड शाखा मे जमा नही है। अपीलाधीन नामान्तकरण न्यायालय हाजा के सिलिंग प्रकरण लाडीजी साहेबा प्रकरण संख्या 01/1986,1001/80 निर्णय दिनांक 29.03.1986 व उप जिलाधीश टोक के आदेश क्रमाक 44/ रीडर/ दिनांक 27.01.1987 के अनुसरण मे तहसीलदार निवाई द्वारा तस्दीक किया गया है।

अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपील मीमो के साथ संलग्न नकल नामान्तकरण व न्यायालय हाजा द्वारा तलब मूल नामान्तकरण के कॉलम संख्या 14 में इन्द्राज प्रविष्टि में समानता प्रदर्शित नहीं है। अतः अभिभाषक अपीलांट को हिदायत दी जाती है कि भविष्य मे आप द्वारा प्रस्तुत अपील/**प्रार्थना** पत्रों मे अपीलाधीन आदेश की उपयुक्त प्रमाणित प्रतियां पेश करें एवं प्रभारी अधिकारी, भू अभिलेख शाखा, कलेक्ट्रेट टोंक को भी निर्देशित किया जाता है कि आपके द्वारा भविष्य में जारी होने वाली समस्त प्रकार की नकलें मूल रिकॉर्ड से मिलान करने के पश्चात् ही जारी की जावें। नामान्तकरण की अपील ना कर न्यायालय हाजा के निर्णय की अपील होनी चाहिये। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

जिला कलेक्टर
टोंक

फलतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 1325 दिनांक 15.04.1987 वाके ग्राम सिरस तहसील निवाई खसरा नम्बर 1487/2 रकबा 6 बीघा 2 बिस्वा हिस्सा 1/2 अपीलांट की हद तक यथावत रखा जाता है। प्रार्थना पत्र स्थगन खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 02.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर,टोक
जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोक (राजस्थान)